इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन संख्या - 8163 वर्ष 2026

योगेश चाहर .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : सक्षम श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, यथार्थ श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 354 सन् 2025, धारा 8, 20, 29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना किरावली, जनपद आगरा में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को वर्तमान मामले में केवल पुलिस को पुलिस सूचनाकर्ता से प्राप्त सूचना के आधार पर झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि कथित रूप से 193 किलोग्राम मादक पदार्थ (गांजा) की बरामदगी उक्त सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक खुले स्थान से की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में आवेदक का नाम सह-अभियुक्त किशन सिंह उर्फ़ अन्ना तथा जकरिया उर्फ़ जका के साथ उक्त मादक पदार्थ की तस्करी के लिए कथित रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया है। आवेदक ने निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग की है :-

i. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

ii. आवेदक ने पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 5361 सन् 2026 प्रस्तुत की थी, जिसमें उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की मांग की गई थी। उक्त रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई थी। इसी प्रकार के शब्दों में पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त किशन सिंह उर्फ़ अन्ना को भी कोई राहत देने से इंकार कर दिया तथा उसकी आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 5350 सन् 2026 को दिनांक 23.03.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया। तत्पश्चात्, सह-अभियुक्त जकरिया उर्फ़ जका के मामले में इस न्यायालय ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2752 सन् 2026 में,

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका के निरस्त होने का संज्ञान लेते हुए, अंतरिम राहत प्रदान की तथा रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान धारा 193 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर रोक लगा दी।

iii. जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना स्वयं स्थगित कर दिया गया है, तब आवेदक, जिसका मामला सह-अभियुक्त जकरिया उर्फ़ जका के समान स्थिति में है, गिरफ्तारी से समान संरक्षण पाने का भी अधिकारी है और जांच लंबित रहने तथा पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ (गांजा) बरामद किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि मामला गांजे की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, अतः आवेदक को कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास इंगित नहीं कर सके हैं।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2752 सन् 2026 पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था :

> *"**1.** श्री ए.पी. मिश्रा, अधिवक्ता, जो श्री रोहित नंदन शुक्ला, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस कर रहे हैं तथा राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

Translated version. Not for legal use.

2. अभिलेख का परिशीलन किया।

3. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि असावधानीवश, प्रथम सूचनादाता एस.आई. गौरव शर्मा को वर्तमान रिट याचिका में पक्षकार-प्रत्यर्थी नहीं बनाया जा सका। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रथम सूचनादाता एफ.आई.आर. को चुनौती देने वाली रिट याचिका में आवश्यक एवं उचित पक्षकार है और प्रथम सूचनादाता को पक्षकार-प्रत्यर्थी बनाए बिना वर्तमान रिट याचिका आवश्यक एवं उचित पक्षकार के असंयोजन के कारण दोषपूर्ण होगी। अतः उन्होंने तर्क दिया कि उपर्युक्त के दृष्टिगत उन्हें वर्तमान रिट याचिका के साथ-साथ स्थगन आवेदन के वाद-शीर्षक में प्रथम सूचनादाता को पक्षकार-प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी-5 के रूप में सम्मिलित करके संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना सद्भावनापूर्ण है। इसका विद्वान ए.जी.ए. द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

5. तदनुसार, इसे अनुमति दी जाती है।

6. रिट याचिका के वाद-शीर्षक तथा स्थगन आवेदन में आवश्यक संशोधन आज ही दिन के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कर दिया जाए।

7. याचिकाकर्ता-जकरिया उर्फ़ जका ने प्रथम सूचनादाता-प्रत्यर्थी-5, एस.आई. गौरव शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई तथा मुकदमा अपराध संख्या 0354 सन् 2025, धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना-किरावली, जनपद-आगरा के रूप में पंजीकृत दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

Translated version. Not for legal use.

20.12.2025 की आक्षेपित एफ.आई.आर. को चुनौती देते हुए वर्तमान आपराधिक विविध रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय की शरण ली है।

***8.** याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में प्रस्तुत किया कि अब अभिलेख पर जो तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, उनके दृष्टिगत आक्षेपित एफ.आई.आर. के अनुसरण में याचिकाकर्ता का आपराधिक अभियोजन न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है। अतः आक्षेपित एफ.आई.आर. स्वयं इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है।*

***9.** याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यद्यपि याचिकाकर्ता एफ.आई.आर. में नामित अभियुक्त है, तथापि याचिकाकर्ता के व्यक्ति से अथवा याचिकाकर्ता की निशानदेही पर कोई बरामदगी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। वास्तव में, मौके पर पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त का नाम सामने आ सकता और इसलिए एफ.आई.आर. में उसका नाम अंकित किया जा सकता।*

***10.** याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तत्पश्चात् न्यायालय का ध्यान एफ.आई.आर. की विषय-वस्तु की ओर आकृष्ट किया, जिसकी प्रमाणित प्रति पेपर बुक के पृष्ठ-21 पर अभिलेख पर है और उसके आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. में वर्णित संपूर्ण अभियोजन कहानी पुलिस सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सूचना विश्वसनीय एवं भरोसेमंद साक्ष्य के दायरे में नहीं आती, क्योंकि पुलिस सूचनाकर्ता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं*

Translated version Not for legal use.

किया जा सकता और न ही धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत विवेचक द्वारा उसका बयान दर्ज किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) 4 एस सी सी 260 के निर्णय पर भरोसा रखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि चूंकि इस स्तर तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विश्वसनीय एवं भरोसेमंद साक्ष्य सामने नहीं आया है, अतः इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाना उचित है।

11. पूर्ण निष्पक्षता से, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि नामित अभियुक्त योगेश चहार ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 5361 सन् 2026 **(**योगेश चहार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य**)** के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया था। तथापि, उक्त याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2026 के आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। सुविधा के लिए दिनांक 23.03.2026 का आदेश निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है;-

"**1.** याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 20.12.2025 की आक्षेपित एफ.आई.आर. को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, जिससे मुकदमा अपराध संख्या 0354 सन् 2025, धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना किरावली, जनपद पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा) उत्पन्न हुआ है।

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

3. आक्षेपित एफ.आई.आर. के परिशीलन से पता चलता है कि वर्तमान मामले में एफ.आई.आर. 193 किलोग्राम गांजा की बरामदगी के आधार पर पंजीकृत की गई है और उसमें लगाए गए आरोपों के अनुसार, सूचनाकर्ता से सूचना प्राप्त हुई थी कि वृंदावन, मथुरा निवासी जकरिया उर्फ़ जका अपने सहयोगियों किशन सिंह उर्फ़ अन्ना तथा योगेश चहार (वर्तमान याचिकाकर्ता) के साथ गांजे की अवैध तस्करी में संलिप्त हैं और सह-अभियुक्त किशन सिंह उर्फ़ अन्ना के माध्यम से उक्त प्रतिबंधित पदार्थ (गांजा) लाया गया है, जिसे थाना किरावली के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लेदर पार्क के पास कहीं छिपाया गया है।

4. पुनः दिनांक 19.12.2025 को सूचनाकर्ता से एक अन्य सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जकरिया उर्फ़ जका, किशन सिंह उर्फ़ अन्ना तथा योगेश चहार, जिनके अलग-अलग मोबाइल नंबर हैं, प्रतिबंधित पदार्थ (गांजा) की अवैध तस्करी में संलिप्त हैं।

5. आगे यह आरोप लगाया गया है कि किशन सिंह उर्फ़ अन्ना तथा उसका बहनोई योगेश चहार जकरिया के गांजे को लेकर आए थे और उसे याचिकाकर्ता-योगेश चहार के पैतृक गांव जंगारा ले जा रहे थे, किंतु पुलिस द्वारा पकड़े जाने के भय से उन्होंने उक्त प्रतिबंधित पदार्थ को लेदर पार्क के गेट के पास झाड़ियों में छिपा दिया था, जहां से उक्त प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया बताया गया है। उक्त पदार्थ छह प्लास्टिक की बोरियों में रखा हुआ था, जिसे तौला गया और उसका वजन 193 किलोग्राम पाया गया तथा उसे कब्जे में ले लिया गया और आवश्यक बरामदगी मेमो तैयार किया गया तथा उसी के आधार पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध आक्षेपित एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता है और अतः आक्षेपित एफ.आई.आर. निरस्त किए जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने याचिकाकर्ता की उपर्युक्त प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, जिसमें याचिकाकर्ता के दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ शामिल होने को विशेष रूप से दर्शाया गया है, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ (ठीक 193 किलोग्राम गांजा) बरामद कर कब्जे में लिया गया है।

9. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता की संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है तथा मामले में गहन जांच और विस्तृत विवेचना की आवश्यकता है।

10. विद्वान ए.जी.ए. ने माननीय शीर्ष न्यायालय के मोहम्मद सहाबुद्दीन और अन्य बनाम असम राज्य: 2012 (119) एआईसी 45; भारत संघ बनाम संजीव वी. देशपांडे: एआईआर 2014 एससी 3625; हीरा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य: एआईआर 2020 एससी 3255; तथा पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार: एआईआर 2019 एससी 84 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया और इनके दृष्टिगत इस स्तर पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा वर्तमान रिट याचिका भी निरस्त किए जाने योग्य है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने तथा याचिकाकर्ता की भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्तता के विशिष्ट आरोप और 193 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी, जिसे पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है तथा जिसका विधिवत बरामदगी मेमो तैयार किया गया है, को ध्यान में रखते हुए, जो वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है, हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।

12. इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चित माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति को देखते हुए, हमारा मत है कि आक्षेपित एफ.आई.आर., जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराधों को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, विशेष रूप से भारी मात्रा में बरामदगी को देखते हुए, इस प्रारंभिक अवस्था में ही समाप्त नहीं की जा सकती।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, इस स्तर पर आक्षेपित एफ.आई.आर. को निरस्त किए जाने की प्रार्थना पूर्णतः गलत धारणा पर आधारित है और इसलिए अस्वीकार की जाती है।

14. वर्तमान रिट याचिका में कोई मेरिट नहीं है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

12. *याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि यद्यपि सह-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है, तथापि उक्त निर्णय रेस-जुडिकाटा (पहले से तय मामला) का गठन नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में प्रस्तुत आधारों पर समन्वय पीठ की खंडपीठ द्वारा विचार नहीं किया गया है।*

13. *याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यद्यपि एफ.आई.आर. अभियोजन के मामले का विश्वकोश नहीं होती है, तथापि वह अभियोजन के मूल मामले को अवश्य प्रकट करती है, जैसा कि* ***(i) मनोज और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1999) 4 एस सी सी 268, (ii) सुभाष कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, (2009) 6 एस सी सी 641 तथा (iii) अच्छर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) 5 एस सी सी 543*** *में अभिनिर्धारित किया गया है। जब अभियोजन के मूल मामले की उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के आलोक में जांच की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अपराध किया गया है।*

14. *याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंततः यह तर्क दिया गया है कि आज तक संबंधित मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में विवेचक द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अतः इस स्तर तक धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत किसी व्यक्ति का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रश्नगत अपराध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी षड्यंत्र का कोई तत्व विद्यमान है। संपूर्ण अभियोजन पुलिस सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है, न कि किसी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य पर।*

Translated version. Not for legal use.

15. उपर्युक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार तर्क दिया गया है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. कायम नहीं रह सकती है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है।

Translated version. Not for legal use.

16. इसके विपरीत, राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान रिट याचिका का जोरदार विरोध किया है। विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि आक्षेपित एफ.आई.आर. से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, अतः वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान ए.जी.ए. ने दिनांक 23.03.2026 के आदेश पर विशेष बल दिया, जिसके द्वारा सह-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को समन्वय पीठ की खंडपीठ द्वारा निरस्त कर दिया गया था। विद्वान ए.जी.ए. ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि चूंकि सह-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पहले ही निरस्त की जा चुकी है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका भी निरस्त किए जाने योग्य है। तथापि, वे वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के संदर्भ में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, इस स्तर पर प्रस्तुत तथ्यात्मक एवं विधिक तर्कों को अस्वीकृत नहीं कर सके।

17. जो भी हो, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात्, इस न्यायालय का मत है कि मामले में विचार किए जाने की आवश्यकता है।

18. राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से नोटिस विद्वान ए.जी.ए. द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

19. प्रथम सूचनादाता-प्रत्यर्थी संख्या 4 को नोटिस जारी किया जाए।

20. प्रथम सूचनादाता-प्रत्यर्थी संख्या 5 पर तामील के लिए आवश्यक कदम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के नियमों में निर्धारित अवधि के भीतर उठाए जाएं।

21. सभी प्रत्यर्थी अपने-अपने प्रति-शपथपत्र 6 सप्ताह के भीतर दाखिल कर सकते हैं।

22. इसके पश्चात् याचिकाकर्ताओं को अपना प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय होगा।

23. इस रिट याचिका को प्रवेश हेतु उपयुक्त पीठ के समक्ष दिनांक 25.05.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

24. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस रिट याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम उपाय के रूप में एतद्द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि इस न्यायालय के अगले आदेश तक याचिकाकर्ता को मुकदमा अपराध संख्या 0354 सन् 2025, धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना-किरावली, जनपद-आगरा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

25. हमें माननीय उच्चतम न्यायालय के **प्रज्ञा प्रांजल कुलकर्णी बनाम. महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1948** के निर्णय की जानकारी है, अतः हम निर्देशित करते हैं कि संबंधित मुकदमा अपराध संख्या की जांच जारी रह सकती है, किंतु

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने तक विवेचक द्वारा धारा 193 बी.एन.एस.एस. के अनुसार अपेक्षित आरोप-पत्र/पुलिस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

***26.** इस मामले को इस पीठ के साथ संबद्ध अथवा इस पीठ द्वारा आंशिक रूप से सुना गया मामला नहीं माना जाएगा।*

***27.** यदि कोई कार्य-आवंटन हो, तो वह समाप्त माना जाएगा।"*

7. उपर्युक्त आदेश के परिशीलन से संकेत मिलता है कि इस न्यायालय ने, वहां याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में सार पाते हुए, जांच जारी रखने की अनुमति दी थी, किंतु रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान आरोप-पत्र/पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर रोक लगा दी थी। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त जकरिया उर्फ़ जका के मामले के समान स्थिति में है। आवेदक ने जांच में सहयोग करने तथा विवेचक को सहायता प्रदान करने का भी वचन दिया है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त किशन उर्फ़ अन्ना को इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के तहत - संख्या 5124 वर्ष 2026** में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

8. प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय की राय में, चूंकि न तो आवेदक की निशानदेही पर और न ही उसके कब्जे से अथवा उसके नियंत्रणाधीन किसी परिसर से कोई बरामदगी किए जाने की बात कही गई है और बरामदगी एक खुले स्थान से किए जाने की बताई गई है, साथ ही इस तथ्य को भी देखते हुए कि सह-अभियुक्त के मामले में इस न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर स्वयं रोक लगा दी गई है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

9. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

10. आवेदक- **योगेश चहार** की उपर्युक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे धारा 193 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक, संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर अभिमत नहीं माना जाएगा।

25 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

Translated version. Not for legal use.

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!